L. A. BILL No. XXXV OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३५ सन् २०२१।

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् २०१७ का महा. ६।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिये, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा २में संशोधन।

२. महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की २ के खण्ड (९) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा अर्थात् :—

"(८) "कुलाधिपति", "प्रति-कुलाधिपति" और "कुलपति" का तात्पर्य, क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रति-कुलाधिपति और कुलपति से है ;"

सन् २०१७ का महा. ६ में धारा ९ का निवेशन। प्रति कुलाधिपति और उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य।

३. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगा, अर्थात :—

"**९क.** (१) महाराष्ट्र में उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा प्रभारी मंत्री, विश्वविद्यालय के प्रति-कुलाधिपति होंगे और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(२) प्रति-कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के अकादमिक और प्रशासकीय कारोबार से संबंधित कोई जानकारी माँग सकेंगे और ऐसी अध्यपेक्षा का विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

(३) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जिसे कुलाधिपति, लिखित में आदेश द्वारा, प्रति–कुलाधिपति को, प्रत्यायोजित करे, और ऐसा प्रत्यायोजन ऐसे आदेश में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन हो सकेगा।"।

सन् २०१७ का महा. ६. की धारा १० में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १० के, खण्ड (१३) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थातः—

"(१३क) निदेशक, मराठी भाषा तथा साहित्य परिरक्षण और उन्नययन ;"।

सन् २०१७ का महा. ६. की धारा ११ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ११ की,—

(१) उप-धारा (३) के,—

(क) खण्ड (क) में,—

(एक) "कुलाधिपति के यथोचित नाम" शब्दों के स्थान में, "राज्य सरकार के यथोचित नाम से" शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:—

"(चार) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले, राज्य में के लोक विश्वविद्यालयों के दो भूतपूर्व प्रति-कुलपति।";

(ख) खण्ड (ग) में, "विश्वविद्यालय की संस्था" शब्दों के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"या तो वर्तमान में या भूतकाल में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के अध्यापक या अधिकारी या सदस्यों की क्षमता में।";

(ग) खण्ड (घ) में "तीन" शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(घ) खण्ड (ङ) में, "कुलपति के रूप में नियुक्ति होने के लिए कुलाधिपति के विचारार्थ के लिए" शब्दों के स्थान में, "राज्य सरकार को" शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (४) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात्:—

"(४) राज्य सरकार, कुलपति के रूप में नियुक्ति करने के लिए समिति द्वारा सिफारिश किए गए पॅनल में से दो व्यक्तियों के नामों की कुलाधिपति को सिफारिश कर सकेंगी :

परंतु यह कि, यदि राज्य सरकार, इसप्रकार सिफारिश किए गए किसी व्यक्ति को अनुमोदित नहीं करती है तो वह या तो उसी समिति से या, इसी प्रयोजन के लिए नई समिति के गठन के पश्च्यात् ऐसी समिति से नया पैनल मँगा सकेगी।

(४क) कुलाधिपति, कुलपति के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित पॅनल में समावेशित व्यक्तियों में से एक को नियुक्त करेगा।"।

६. मूल अधिनियम की धारा १३ की, उप-धारा (६) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा.६ की धारा १३ में संशोधन।

"(६) कुलाधिपति, प्रति-कुलपति द्वारा राज्य सरकार को सुझाए गए नामों में से राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए तीन नामों के पैनल में से एक की विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति के रूप में नियुक्ति करेगा।"।

७. मूल अधिनियम की धारा २४ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा.६ की धारा २४ क का निवेशन।

मराठी भाषा और साहित्य के परिरक्षण और उन्नयन निदेशक।

"२४क. (१) विश्वविद्यालय के मराठी भाषा विभाग के प्रमुख, मराठी भाषा और साहित्य के परिरक्षण और उन्नयन **पदेन** निदेशक होंगे।

(२) जब मराठी भाषा और साहित्य के परिरक्षण और उन्नयन निदेशक का पद रिक्त होता है या निदेशक, बीमारी, अनुपस्थिति या किन्ही अन्य कारण के कारणों द्वारा उसके पद के कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो कुलपति, नए निदेशक कर्तव्य ग्रहण करने तक या, यथास्थिति, निदेशक अपने कर्तव्य पुनःग्रहण करने तक विश्वविद्यालय के मराठी भाषा विभाग में के अध्यापकों में से यथोचित व्यक्ति की निदेशक के रूप में सरकारी तौर पर काम करने के लिए नियुक्ति करेगा।

(३) मराठी भाषा और साहित्य के परिरक्षण और उन्नयन निदेशक, निम्न शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग करेंगे, अर्थात् :—

(क) अनुदेश और संसूचना के माध्यम के रूप में मराठी को बढ़ावा देने के लिए उपाय करना ;

(ख) अन्य राष्ट्रीय, आंतर्राष्ट्रिय संस्थाओं, निजी विश्वविद्यालयों, गैरसरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से सहयोग में विभिन्न विषयों में किताबों का अनुवाद करने के लिए उपाय करना ;

(ग) मराठी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने और प्रचार करने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देने के उपाय करना ;

(घ) सांस्कृतिक से संबंधित मराठी भाषा में अनुसंधान और अन्य भाषाओं से संबंधित भाषाविषयक साहित्य, आंतर-सांस्कृतिकता को ध्यान में रखते हुए मराठी भाषा में अन्य भाषाओं के साहित्य का अनुवाद कार्य करने को बढ़ावा देने के उपाय करना ;

(ङ) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा में वृत्तिक और अनुप्रयुक्त प्रकार के पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना ;

(च) कोई अन्य कार्य हाथ में लेना जिसे विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए जिससे मराठी भाषा और साहित्य परिरक्षण और उन्नति बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करना ;

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जिसे इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया हो या समय-समय पर, कुलपति या प्रति-कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए।"।

सन् २०१७ का महा.६ की धारा २६ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा २६ के खण्ड (१७) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

"(१७क) मराठी भाषा और साहित्य परिरक्षण और उन्नयन बोर्ड ;

(१७ख) समान अवसर बोर्ड ;"।

सन् २०१७ का महा.६ की धारा २८ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा २८ की,–

(१) उप-धारा (२), के,—

(क) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

"(कक) प्रति-कुलपति;";

(ख) खण्ड (ठ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

"(ठक) मराठी भाषा और साहित्य के परिरक्षण और उन्नयन निदेशक;";

(ग) खण्ड (प) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

"(पक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित पाँच व्यक्ति, जो राष्ट्रीय महत्त्व की जैसे कि, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, का निदेशक/प्रमुख हो, वरिष्ठ वैज्ञानिक, शिक्षा, सामाजिक कार्य, संस्कृति, क्रिड़ा, साहित्य और सहकार आंदोलन में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता, महत्त्वपूर्ण अंशदान देनेवाले पर्यावरण विद्, राष्ट्रीय ख्याति की व्यक्ति जिसने महिला अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया है, संसूचना संस्थाओं/शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख या निदेशक या राष्ट्रीय अखबार या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के सम्पादक या पुरस्कार विजेता पत्रकार होगा ;

(पख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला एक ऑलम्पिक, कॉमनवेल्थ, वैश्विक चैम्पियनशीप, एशियाड में पुरस्कार विजेता खिलाडी या राष्ट्रीयस्तर पर पुरस्कार विजेता खिलाडी ;

(२) उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(३) कुलाधिपति, सामान्यतः सिनेट की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, प्रति कुलाधिपति और प्रति कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति अध्यक्षता करेंगे। " ।

सन् २०१७ का महा.६ की धारा ३० में संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा ३० की, उप-धारा (४) के खण्ड (ट) के पश्चात् , निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(टक) राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाओं, जैसे कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ के निदेशक या प्रमुख, पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता, पर्यावरण, महिला विकास और संसूचना तथा माध्यम के क्षेत्र में राष्ट्रीयस्तरीय मान्यता-प्राप्त या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले एक सदस्य ;

"(टख) राज्य सरकार द्वारा नामित किया जानेवाला पीएचडी उपाधिवाला सामाजिक क्षेत्र में कार्य करनेवाला एक व्यक्ति ;"।

सन् २०१७ का महा.६ में धारा ६०क और ६०ख का निवेशन।

११. मूल अधिनियम की धारा ६० के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"**६० क.** (१) राज्य की राजभाषा और **साथ ही साथ** जनसमुह संसूचना के लिए स्थानीय भाषा के रूप में मराठी का परिरक्षण तथा विकास करने के लिए एक मराठी भाषा और साहित्य परिरक्षण तथा उन्नयन बोर्ड होगा।

(२) बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) प्रति-कुलपति-अध्यक्ष ;

(ख) **राज्य मराठी विकास संस्था** के निदेशक या उनके नामनिर्देशिति ;

(ग) **अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन** के संम्मेलनाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले **अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन** के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले मराठी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने तथा विकास करने के लिए काम करनेवाले नागरी संस्थाओं या संघटनों के दो सदस्य ;

(ङ) विश्वविद्यालय के मराठी विभाग के विभाग प्रमुख से अन्यथा, ज्येष्ठतम प्राध्यापक ;

(च) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जानेवाले संबंद्ध महाविद्यालय के मराठी विभाग के एक प्रमुख ;

(छ) मराठी भाषा और साहित्य परिरक्षण और उन्नयन के निदेशक—सदस्य-सचिव ;

(३) मराठी भाषा और साहित्य परिरक्षण और उन्नयन बोर्ड की, निम्न शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) शिक्षा और संसूचना के माध्यम के रूप में मराठी को प्रोत्साहन देना ;

(ख) छात्रों के लिए प्रिंट प्ररूप और इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में संसाधन सामग्री के रूप में, मराठी भाषा में पाठ्यपुस्तक तैयार करना ;

(ग) छात्रों के लिए अकादमिक उत्कृष्ट कार्य, विशेष रूप से, अंग्रेजी और अन्य आधुनिक भाषाओं से मराठी में, प्रिंट प्ररूप और इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में अनुवाद करना ;

(घ) राष्ट्रीय, आंतर्राष्ट्रिय संस्था, निजी विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र कंपनीयों के सहयोग से विभिन्न विषयों में अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद कार्य हाथ में लेना ;

(ङ) मराठी भाषा और साहित्य समृद्ध बनाने और प्रसार करने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करना ;

(च) अन्य भाषाओं से संबंधित संस्कृति और भाषा विषयक साहित्यों से संबंधित मराठी भाषा में अनुसंधान, आंतर-सांस्कृतिकता को ध्यान में रखते हुए अन्य भाषाओं से मराठी में अनुवाद कार्य हाथ में लेना ;

(छ) मराठी में वैचारिक, समीक्षात्मक, सृजनात्मक विचार और परिकल्पना को प्रोत्साहित करना ;

(ज) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय विभागों के ज़रिए मराठी भाषा में वृत्तिक और अनुप्रयुक्त स्वरूप के पाठ्यक्रम तैयार करना और प्रस्तुत करना ;

(झ) विभिन्न प्रदेशों में मराठी भाषा के भिन्नता का अनुसंधान कार्यान्वित करना ;

(ञ) मराठी में प्रकाशन रिपोर्ट, प्रबंध, अनुसंधान परिमाण को सुकर बनाना।

समान अवसर का बोर्ड।

६०ख. (१) प्रत्येक विश्वविद्यालय में समान अवसर वाला एक बोर्ड होगा जो अध्यापकों, अध्यापनेतर कर्मचारियों और समाज के कमजोर वर्ग के विभिन्न प्रवर्गों से संबंधित छात्रों, अल्पसंख्यक, महिला, एलजीबीटीक्यूएएल [समलिंगी संबंधवाली महिला (लेस्बीएन) समलिंगी संबंधवाला पुरूष (गे), उभयलिंगी संबंधवाले व्यक्ति (बाय सेक्शुअल) तृतीयपंती, समलिंगी संभोग आकर्षण होनेवाला पुरूष (क्यूर), आंतरलैंगिक तथा अन्य] और विकलांग व्यक्तियों, छात्रों का कल्याण, विकास और सामाजिक संरक्षण के संबंध में योजना, मानीटर, मार्गदर्शन के लिए जिम्मेवार होगा, तथा विभिन्न विकास और कल्याण कार्यक्रम, योजना विनियमन और नीति के समन्वयन करने लिए जिम्मेवार होगा, भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, समानता, समान अवसर, प्रतिष्ठा और सामाजिक न्याय के महत्त्व को बढ़ावा देने तथा स्थापित करने और विश्वविद्यालय में विस्तृत शिक्षा के लिए नीति सृजित करने प्रक्रिया और अनुशीलन के लिए भी जिम्मेवार होगा।

(२) बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) प्रति-कुलपति–अध्यक्ष ;

(ख) महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त, या उपायुक्त से अनिम्न श्रेणी के उनके नामनिर्देशिति ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले विश्वविद्यालय विभागों से नौ ज्येष्ठतम अध्यापक, जिसमें प्रत्येकी एक अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित-जनजातियाँ तो निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक, महिला, एलजीबीटीक्यूएएल [समलिंगी संबंधवाली महिला (लेस्बीएन) समलिंगी संबंधवाला पुरूष (गे), उभयलिंगी संबंधवाले व्यक्ति (बाय सेक्शुअल) तृतीयपंती, समलिंगी संभोग आकर्षण होनेवाला पुरूष (क्यूर), आंतरलैंगिक तथा अन्य] और विकलांग व्यक्तियों के प्रवर्ग में से होगें ;

(घ) कुलपति द्वारा समान अवधि के लिए चक्रानुक्रम द्वारा, नामनिर्देशित किए जानेवाले संबंद्ध महाविद्यालयों के दो वरिष्ठ प्राचार्य जिनमें से एक अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ या तो निरधिसूचित जनजातियाँ (**विमुक्त जातियाँ**) या खानाबदोश जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों में से होंगे ;

(ङ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाला विश्वविद्यालय विभागों से एक छात्र जो अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, या तो निरधिसूचित जनजातियाँ (**विमुक्त जातियाँ**) या खानाबदोश जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यंक, महिला, एलजीबीटीक्यूएएल [समलिंगी संबंधवाली महिला (लेस्बीएन) समलिंगी संबंधवाला पुरूष (गे), उभयलिंगी संबंधवाले व्यक्ति (बाय सेक्शुअल) तृतीयपंती, समलिंगी संभोग आपर्षण होनेवाला पुरूष (क्यूर), आंतरलैंगिक तथा अन्य] और विकलांग व्यक्तियों में से होगा ;

(च) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जानेवाले एक विख्यात सामाजिक कर्मकार ;

(छ) समान अवसर बोर्ड के निदेशक—सदस्य-सचिव।

(३) समान अवसर बोर्ड की, वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होगी।

(४) समान अवसर बोर्ड की, निम्न शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, समानता, समान अवसर, प्रतिष्ठा और सामाजिक न्याय के मूल्य को बढ़ावा देने और स्थापित करने तथा राष्ट्रीय विकास पर मूलभूत दृष्टिकोन और तत्वों के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाना ;

(ख) उच्चतर शिक्षा के अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और सहायता सेवाएँ सुविधाओं में साम्यापूर्ण वितरण और समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार करना ;

(ग) समाज के कमजोर वर्गों के बीच स्व-सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुभाव को निर्माण करने तथा बढ़ाने और समाज में लिंग समानता और संवेदनशीलता को भी बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार करना ;

(घ) विश्वविद्यालय में विस्तृत शिक्षा के लिए नीति, प्रक्रिया और नित्यप्रयोग सृजित करना और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों को बनाकर और विश्वविद्यालय द्वारा, समय-समय पर गठित विभिन्न समितियों में कमजोर वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करना ;

(ङ) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में निष्पक्षता और भर्ती और प्रवेश में आरक्षण की निष्पक्षता को बढ़ावा देने के संबंध में समय-समय पर जारी सरकारी नीतियों, विनियमों या आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर तथा मूल्यांकन करना ;

(च) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा निदेशित, समाज के कमजोर वर्ग के विभिन्न प्रवर्गों और अल्पसंख्यक के कल्याण के संबंध में राज्य सरकार की साधारण नीति के कार्यान्वयन को मानीटर तथा मूल्यांकन करना ;

(छ) विश्वविद्यालय के कमजोर वर्गों के संबंधित छात्रों और कर्मचारियों का सम्पूर्णत: विकास और कल्याण के लिए कार्य योजना तैयार करना ;

(ज) कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए सरकारी और गैर-सरकारी निधिकरण

अभिकरणों द्वारा मंजूर विभिन्न योजना/परियोजना के संबंध में, विश्वविद्यालय, संबंध महाविद्यालयों, और मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा मंजूरी के उपयोग का मानीटर, मूल्यांकन और निर्धारण करना और समुचित कार्यवाही के लिए सिफारिशों समेत रिपोर्ट प्रबंधमंडल परिषद को प्रस्तुत करना ;

(झ) बोर्ड द्वारा बनायी जानेवाली कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में वित्तीय प्राक्कलन तैयार करना और उसे विचारार्थ वित्त तथा लेखा समिति को भेजना ;

(ञ) कुलपति द्वारा किये गये निर्देशन पर बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा की जानेवाली कोई जाँच करना.—

(एक) विश्वविद्यालय और संबंध महाविद्यालयों के छात्रों, अध्यापकों और अध्यापनेतर कर्मचारियों से जाति, जातियता, धर्म, रंग और लिंग पर आधारित विभेद के विरुद्ध प्राप्त कोई शिकायत ;

(दो) कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मंजूर विभिन्न योजना, और परियोजना के संबंध में विश्वविद्यालय और संबंध महाविद्यालयों द्वारा उपयोगिता मंजूरी का मूल्यांकन और निर्धारण करना ;

(ट) कोई अन्य कार्य हाथ में लेना जिसे कुलपति द्वारा समनुदेशित किया जाए, जिससे विश्वविद्यालय और बोर्ड के उद्देश्यों का कार्यान्वयन हो ।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ५), राज्य में अकृषिक और अ-चिकित्सा लोक विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिये उपबंध करता है। भारत सरकार ने, २० जुलाई २०२० को राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की है। उक्त नीति को ध्यान मे रखकर और लोक विश्वविद्यालय की अभिशासन संरचना को मजबूत भी बनाना है और उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के दरजे को सुधारने में सक्षम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, उक्त अधिनियम में संशोधन करना इष्टकर समझा है।

२. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० के उपबंधों और विश्वविद्यालय की अभिशासन संरचना, उच्चतर शिक्षा अध्ययन और अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं का विचार करते हुये, महाराष्ट्र सरकार ने, उक्त अधिनियम में संशोधनों की सिफारिश करने के लिऐ एक समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति ने उसकी रिपोर्ट का भाग एक प्रस्तुत किया था, जो महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में संशोधनों से संबंधित सिफारिशों से बना था। उक्त समिति की सिफारिशों का विचार करने के पश्चात्, सरकार उक्त अधिनियम में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

३. प्रस्तावित विधेयक की प्रमुख विशेषतामें यथा निम्न है.—

(क) प्रति-कुलाधिपति के लिऐ उपबंध

(ख) मराठी भाषा और साहित्य के परिरक्षण और उन्नयन निदेशक के पद के लिऐ उपबंध;

(ग) कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया की रीति और पैनल की सिफरिश करनेवाली समिति की पुनरचना संबंधी उपबंध ;

(घ) मराठी भाषा और साहित्य के परिरक्षण और उन्नयन बोर्ड और समान अवसर बोर्ड के गठन के लिए उपबंध ;

(ड) राज्य सरकार द्वारा सिनेट और प्रबंधन परिषद पर सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए उपबंध करना।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २१ दिसंबर, २०२१ ।

उदय सामंत,
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २२ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई